

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत,
Email-dfo_chamawat_uta@yahoo.co.in
पत्रांक 876/12-1 दिनांक, चम्पावत 23-9-2015।

सेवा में,

वन संरक्षक
उत्तरी कुमौऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषय:- मंच बकोडा तक मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव संख्या 12159/2015)

संदर्भ:- आपका पत्रांक 937/12-1 दि० 07.09.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र वांछित सूचना/आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है:-

1. प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित होने वाले 0-10 सेमी व्यास वर्ग के वृक्षों की सूची वन भूमि प्रस्ताव लगायी गयी सूची (प्रपत्र 2.15) में सम्मिलित नहीं की गयी है।
2. वृक्षों की मूल गणना सूची में वृक्षों की संख्या सही दर्शा दी गयी है।
3. प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मीटर चौड़ाई में की गयी है।
4. प्रस्तावित परियोजना में लाभान्वित होने वाले समस्त ग्राम मुख्य मार्ग चम्पावत-मंच-तामली मोटर मार्ग से हर स्तर पर आरक्षित भूमि से होकर गुजरते हैं, तथा मात्र कुछ भाग ही सिविल/नाभूमि में पड़ता है। अन्यत्र वैकल्पिक मार्ग चयन करने पर अपेक्षाकृत अधिक आरक्षित भूमि एवं अधिक बांज वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करे।

भवदीय

(ए.के.मुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।